[2026:RJ-JP:8312]

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 648/2026

Yogendra Singh @ Golu S/o Mahesh Singh, Aged About 18 Years, R/o Bajna Road, Sadhna Colony, Gurukul School Ke Samne, Police Station Hindauncity, District Karauli.

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Timan Singh, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

23/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पुलिस थाना नई मण्डी हिण्डौन, करौली में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 430/2025 अपराध अंतर्गत धारा 140(3) भारतीय न्याय संहिता में गिरफ्तारी की आशंका के फलस्वरूप अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है, घटना के समय वह मौजूद नही था, उससे कोई बरामदगी होनी शेष नही है, वह अनुसंधान में सहयोग करने को तैयार है, अकारण गिरफ्तार किया गया तो उसके विधिक अधिकारों का हनन होगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जावे।

मैंने उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में घटना की रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के अनुसार दिनांक 18.09.2025 को आहत ललित अपने मित्र विश्वेन्द्र के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था। प्रार्थी/अभियुक्त व तीन अन्य सहअभियुक्तगण अन्य गाड़ी में आये और आहत को जबरन पकड़कर गाड़ी में बिठाकर ले गये। घटना की रिपोर्ट में घटना कारित करने में अन्य अभियुक्तगण के साथ प्रार्थी/अभियुक्त का नाम अंकित है। सहअभियुक्तगण गौतम जाट, विवेक, भानू व प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस ने धारा 189(2), 115(2), 126(2), 140(3), 119(1), 111(2),(3), (4),(6) भारतीय न्याय संहिता का आरोप प्रमाणित पाया है। आहत के शरीर पर आई चोटों के संबंध में चोट प्रतिवेदन प्रपत्र प्रस्तुत हुआ है, वह हिण्डौन स्थित जिला अस्पताल में दिनांक 18.09.2025 को भर्ती भी रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसने आहत ललित को जबरदस्ती खींचकर गाड़ी में बिठाकर मारपीट की, उसका मोबाईल छीन कर सिम को रास्ते में तोड़ दिया व गाड़ी में आहत के साथ लात, घुंसों व डंडे से मारपीट कर 1.5 लाख रूपये रंगदारी की मांग की और नही देने पर पुनः मारपीट की व आहत को रास्ते बड़ागांव ईलाका थाना नादौती की सपाट के पास सुनसान जगह पर गाड़ी से नीचे पटक कर भाग गये। प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में झूठा फंसाया गया हो या उसके विरुद्ध आरोप प्रथम दृष्टया नही बनता हो, यह इस स्तर पर स्पष्ट नही है। प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने से अनुसंधान विपरीत रूप से प्रभावित होने की संभावना है।

अतः प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपों की गंभीरता, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **योगेन्द्र सिंह उर्फ गोलू पुत्र महेश सिंह** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANISH SAINI /170